उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-4

संख्या-22/2016/1160/तीस-4-2016-8(2)16

लखनऊ: दिनांक: 04 अगस्त,2016

<u>अधिसूचना</u>

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-59, सन् 1988) की धारा 211 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-65 और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-10 सन्1897) की धारा-21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा-212 की उप धारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना संख्या-9/2016/690/तीस-4-016-8(2)16, दिनांक 13 मई, 2016 के अनुसरण में आमंत्रित आपत्तियों एवं सुझावों के पश्चात् उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश मोटरयान (इक्कीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मोटरयान (इक्कीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2016 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 51 (क) में संशोधन

1- उक्त नियमावली में, नियम 51 क, में उप नियम (2) में-

(क) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात-

स्तम्भ-1 **विद्यमान उप नियम**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम**
(iv) किसी भी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में दिये गये आवेदन पत्र पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी "पहले आने पर पहले" सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र के साथ अति आकर्षक संख्याओं के लिये 15,000 रूपये, अतिमहत्वपूर्ण संख्याओं के लिये 7,500 रूपये, आकर्षक संख्याओं के लिये 6,000 रूपये और महत्वपूर्ण संख्याओं के लिये 3,000 रूपये के शुल्क के अग्रिम रूप में भुगतान करने पर, जो अधिनियम की धारा 41 की उप धारा (2) के अधीन विहित शुल्क के अतिरिक्त होगा, उप नियम (दो) के अधीन परिवहन आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी रजिस्ट्रीकरण संख्या को आरक्षित कर सकता है और ये आकर्षक संख्याएं एक बार आरक्षित हो जाने पर अन्तरणीय नहीं होगी।	(iv) किसी भी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में दिये गये आवेदन पत्र पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी "प्रथम आगत प्रथम पावत" सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र के साथ अतिआकर्षक संख्याओं के लिये 15,000 रूपये, अतिमहत्वपूर्ण संख्याओं के लिये 7,500 रूपये, आकर्षक संख्याओं के लिये 6,000 रूपये और महत्वपूर्ण संख्याओं के लिये 3,000 रूपये के शुल्क के अग्रिम रूप में भुगतान करने पर, जो अधिनियम की धारा 41 की उप धारा (2) के अधीन विहित शुल्क के अतिरिक्त होगा, उप नियम (दो) के अधीन परिवहन आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी रजिस्ट्रीकरण संख्या को आवंटित करेगा, और ये आवंटित संख्याएं एक बार आवंटित हो जाने पर अन्तरणीय नही होगी। **परन्तु यह कि** किसी परिवहन कार्यालय में किसी नये वाहन नीलाम के लिए सीरीज के समस्त अधिसूचित पंजीयन नम्बर प्रथमत: उस कार्यालय में सीरीज प्रारम्भ होने के दिनांक

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	को प्रातः 10:00 बजे से प्रारम्भ कर सात दिनों तक खुले रहेंगे। इस नीलामी बोलीदाता को उस श्रेणी के लिए निर्धारित फीस से अधिक राशि की बोली लगानी होगी। यदि बोलीदाता की संख्या तीन से कम होती है तो उस स्थिति में पंजीयन नम्बर के लिए नीलामी की प्रक्रिया सात दिनों के लिए और बढ़ा दी जायेगी। इस बढ़ाई हुई अवधि में भी यदि तीन बोलीदाता भाग नहीं लेते हैं तो अधिकतम बोलीदाता को सम्बन्धित नम्बर आवंटित कर दिया जायेगा, चाहे बोलीदाता एक ही क्यों न हो। नीलामी की प्रक्रिया हेतु निर्धारित अवधि में इस प्रक्रिया में नीलाम नहीं होने वाले अधिसूचित पंजीयन नम्बरों का आरखण "प्रथम आगत प्रथम पावत" सिद्वान्त के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 41 की उप धारा (2) के अधीन विहित शुल्क के अतिरिक्त अधिनियम (2) के अधीन विहित शुल्क के अतिरिक्त अधिनियम (2) में निर्धारित शुल्क का अग्रिम भुगतान कर बुकिंग कराने हेतु आवेदकों के लिये खुले रहेंगे। 2- नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से या "प्रथम आगत प्रथम पावत" के सिद्वान्त पर किसी अधिसूचित पंजीयन नम्बर के आरक्षण की प्रक्रिया तथा तौर-तरीका का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना के द्वारा किया जायेगा।

आज्ञा से,

(कुमार अरविन्द सिंह देव)

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-22/2016/1160(1)/तीस-4-2016-8(2)/16 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 04 अगस्त, 2016 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 250 प्रतियॉं परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

संख्या-22/2016/1160(2)/तीस-4-2016-8(2)/16 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
5- अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- विधायी अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 22/2016/1160/XXX-4-2016-8(2)/16, dated August 04, 2016.

<u>Notification</u>

No.22/2016/1160/XXX-4-2016-8(2)/16

Lucknow: Dated August 04, 2016

In exercise of the powers under section 65 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no.59 of 1988) read with section 211 of the said Act and section 21 of the General Clauses Act, 1897(Act no. 10 of 1897) the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules,1998 after inviting the objections and suggestions vide by notification no.9/2016/690/XXX-4-2016-8(2)16, dated May 13, 2016 as used under sub section (1) of section 212 of the said Act of 1988.

The Uttar Pradesh Motor Vehicles (Twenty-first Amendment) Rules , 2016

Short title and Commencement	1(1) These rules may be called the U.P. Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2016		
	(2) They shall come into force with effect from the date of publication in the official Gazette.		
Amendment of rule 51A	2-	In the said rules, in rule 51A, in sub rule (2)	
		for the existing clause (iv) setout in column 1 below, the clause as setout in column 2 shall be substituted, namely-	
		Coloumn-1 **existing clause**	**Coloumn-2** **clause hereby substituted**
		(iv) The Registering authority may on an application in writing made to it by any person, reserve any registration number notified by the transport commissioner under sub-rule (ii) on payment of a fee Rs. 15,000/- for very attractive numbers, Rs. 7,500/- for very important numbers, Rs. 6,000/- for attractive numbers and Rs. 3,000/- for important numbers in advance along with application in addition to fees prescribed under sub section (2) of section 41 of the Act on the principle of first come first basis and these attractive	(iv) The Registering authority may on an application in writing made to it by any person, reserve any registration number notified by the transport commissioner under sub-clause (ii) on payment of a fee Rs. 15,000/- for very attractive numbers, Rs. 7,500/- for very important numbers, Rs. 6,000/- for attractive numbers and Rs. 3,000/- for important numbers in advance along with application in addition to fees prescribed under sub- section (2) of section 41 of the Act on the principle of "first come first serve" bases and these attractive numbers once reserved shall not be transferable.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	numbers once reserved shall not be transferable.	**Provided that-** (1) all the notified new series of the numbers of the vehicle shall initially be opened for auction for seven days which shall start from 10.00 A.M of the date of beginning of the auction of a series in a transport office till the end of the seventh day. For the said auction bidder has to offer more amount than the fees prescribed for the respective prescribed numbers .If the number of bidders is less than three, than in that case the process of auction for that notified number shall be extended for a further period of seven days. If in the extended period also three bidders do not take part then in that case said number shall be allotted to the highest bidder. Even if there is only one bidder ,those notified numbers which remain un-auctioned in the prescribed period of auction shall be opened for booking by payment of prescribed fees under sub section (2) of section 41 of the Act on the principle of "first come first serve "basis by advance payment of fees prescribed under sub rule(2). (2)The mode and manner for the booking of notified registration number either through the process of auction or on the principle of "first come first serve" shall be specified by notification by the State Government.

By Order,

(Kumar Arvind Singh Deo)
Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।